

प्रपत्र-2.1

भाग- ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....
FP/DK/RD/23/14786/2016

7. परियोजना/स्कीम का स्थान हनोल निवड़ी बैरे स्टेंगी मोहर मार्ह

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड
 - ii) जिला नौदी
 - iii) वन प्रभाग बड़ीनाथ वन पुभाग, गोपेश्वर
 - iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 3.09 हेक्टेयर
 - v) वन की कानूनी स्थिति उत्तराखण्ड वन, वन फॉस्टर, बैरे बैरे वन
 - vi) उरियाली का घनत्व
 - vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक०आर०एल० - ४ मी० पर परिणामना भी संलग्न किए जाए
 - viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर रांकिंप्ट टिप्पणी। प्रूफैसानिक रिपोर्ट संहज
 - ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित रथल की वन की रीमा री अनुमानित दूरी
 - x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवगण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)
 - xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ /संकटापन/ विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। नहीं
 - xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारामरिक रथल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण समारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या
- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और चूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अग्री भी चह रह है। नहीं

प्रस्तावित वन वरामि न्यूनतम है।

नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन रीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रंपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन ऐंजीरी, समय अनुसूची लागत छाया आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रवन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (रागवधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विंशप्ता: उपर्युक्त कालग 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12 प्रगाम/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- i. जिला का वन क्षेत्र। 803000 है.
- ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से 514792 है.
- iii. 1980 से जिला/प्रगाम में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण — 218 मास्रे 826,453 है.
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित लागू है.
- (ख) वन भूमि 31-३-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (ग) वन भूमि पर — 462.94 है.
- (घ) वनेत्तर भूमि पर 497.57 है.

संलग्न

संलग्न

संलग्न

13- प्रस्ताव को रवीकृत करने अथवा प्रताव अन्यथा लेने के सावध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 27/12/16

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम ५१०८१०४४४४४४
प्रभारीय वनाधिकारी
संसदीय वन प्रमाण मोपेश्वर
(चौमाली)